न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– श्री संजीव कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP5466}

(CNRNo.–UPJB010059842022)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2236/2022

वसीम पुत्र नईम खां, निवासी ग्राम महबुल्लापुर टाकी, कस्बा बास्टा, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः15.10.2022

यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त वसीम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–171/2022, अंतर्गत धारा 379,411,328 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक निम्न प्रकार है कि दिनांक 16.04.2022 को वादी मुकदमा जेम्स ने थाना अमरोहा नगर पर प्राथमिकी दर्ज करायी कि कल दिनांक 15.04.2022 को वह अपनी मयूरी, जिसका नं०–UP 23AT 2221 है, चला रहा था तो उसके पास दो अज्ञात व्यक्ति आये और उसकी मयूरी बुक करके बम्बूगढ़ में ले गये, उसके बाद वापस वासुदेव ले गये। वहाँ उसे कोल्ड ड्रिंग्स में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया। उसके बाद वे उसकी मयूरी लेकर भाग गये। कल से आज दिनांक 16.04.2022 को वह टी.पी. नगर में कुछ व्यक्तियों को मिला तब अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट लिखाने आया। वादी की सूचना के आधार पर उपरोक्त मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ और विवेचना आरम्भ की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण मौ० उमर, रहीसुददीन व यामीन के नाम प्रकाश में आये हैं। विवेचना के दौरान दिनांक 15.06.2022 को अभियुक्तगण रहीसुददीन व यामीन की निशानदेही पर इस अपराध से सम्बन्धित ई–रिक्शा की कथित नम्बर प्लेट पुलिस ने बरामद की है तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण वसीम, मौ० उमर, यामीन व रहीसुददीन के विरूद्ध धारा 379,411,328 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह फर्जी है। उसने कोई मयूरी नहीं लूटी है और न कोल्ड ड्रिंग्स में कोई नशा वादी को दिया है। सह–अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकी है। वह दिनांक 02.06.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। अतः उसके जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा जेम्स को कोल्ड ड्रिंग्स में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसका वाहन (मयूरी) संख्या–UP 23AT 2221 चोरी करने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 379 भा०दं०सं० के अंतर्गत अज्ञात में दर्ज हुई है। विवेचना के दौरान धारा 328 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी है। केस डायरी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि एफ.आई.आर., जो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी, की विवेचना के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य आपराधिक वाद में

.....P. T. O.

जेल में निरूद्ध रहने पर, इस वाद की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। प्रस्तुत मामले में विवेचना के दौरान सह–अभियुक्तगण यामीन तथा रहीसुददीन की निशानदेही पर कथित चोरी के वाहन की नम्बर प्लेट बरामद होना बताया गया है। साक्ष्य में आया है कि चोरी का वाहन कबाड़ी को बेच दिया गया था। कथित बरामदगी पुलिस अभिरक्षा में लेकर की गयी है। थाने से प्राप्त आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके विरूद्ध दर्शित मुकदमों में अधिकांश मुकदमे इसी अपराध के साथ लगाये गये हैं और वह किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.06.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। **इसी अपराध सह–अभियुक्तगण मौ० उमर व रहीसुददीन की जमानत सेशन न्यायालय, अमरोहा द्वारा दिनांक 21.06.2022 को स्वीकार की जा चुकी है।**

अपराध के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुये मामले के गुणदोष पर मत व्यक्त किये बिना मैं, प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार पाता हूं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी–इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू तथा निम्नलिखित आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

2– दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जावेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप एवं धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत दिनांक एवं न्यायालय द्वारा निर्देशित अन्य तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–15.10.2022

(संजीव कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक

Digitally signed by SANJEEV KUMAR
Date: 2022.10.17 17:20:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court